ग्राम पंचायत घरेड, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनाँक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घरेड , विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया निष्पादित गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत घरेड में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति अंजू देवी	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जोगिन्दर कुमार	01.04.2022 से 27.06.2022
2.	श्री पवन कुमार	27.06.2022 से 15.09.2022
3	श्री सुनील कुमार	16.09.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत घरेड, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० स०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	7.24
2.	4.4	15 वां वित आयोग की रोकड़ बही के अंतर्गत समायोजन वॉउचर बारे	8.20
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.34
4.	7.1	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	0.73
5.	7.2	विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	0.06
6.	8.1	निर्माण सामग्री से सम्बन्धित संदिग्ध भुगतान बारे	5.05
7.	8.2	पंचायत द्वारा बैंक खातों से संदिग्ध निकासी करने बारे	2.53
8.	8.3	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.58
9.	8.4	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.39
10.	9.1	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	0.76
11.	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	5.46
12.	9.3	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	1.53
13.	9.4	सभा निधि से अन्य मदों हेतु व्यय करने बारे	3.43

14.	9.5	9.5 मनरेगा (MGNAREGA) के अंतर्गत बिल/वॉउचर व मस्टर रोल को सत्यापित/प्रमाणित न करने बारे	18.72
15.	10.4	प्रियासॉफट व मैनुअल संधारित लेखों में भारी अन्तर	15.34

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत घरेड, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 01-06-2024 से 12-06-2024 तक ग्राम पंचायत घरेड के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	04/2022	05/2022
2.	2022-2023	04/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत घरेड, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु

पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/ GP GHARED/14 दिनाँक:-12.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत घरेड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत घरेड के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 1** में भी दिया गया है:-

(i) स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	680919.00	16641.00	697560.00	8000.00	689560.00
2023-24	689560.00	17809.00	707369.00	185000.00	522369.00

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	4447227	8035311.92	12482538.92	8943989.92	3538549.00
2023-24	3538549	8566821.23	12105370.23	10771319.23	1334051.00

कुल योग (i + ii) = ₹522369+ 1334051= ₹ 1791810

(ख) ग्राम पंचायत घरेड, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनाँक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	17810103208	HPSCB Bharmour	5TH SFC /SF/MPLAD/CD 2515/NUCLIOUS /RAY/NRHM	115665

2	17810114312	HPSCB Bharmour	15TH FC	2396971
3	9923120000181	HPGB BHARMOUR	SBM	1029
4	17810111916	HPSCB Bharmour	14TH FC	2154
			Total	**2515819**

अन्तर (क-ख) **1791810- 2515819**= ₹-**724009**

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनाँक 31-03-2024 को राशि ₹-**724009** का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹7.24 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत घरेड द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाँक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹**724009** का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/04 दिनाँक 12.06.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति

शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.4 15 वां वित्त आयोग की रोकड़ बही के अंतर्गत राशि ₹8.20 लाख का समायोजन वॉउचर बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा (e-Gram Swaraj) में संधारित की जा रही 15वां वित आयोग की रोकड़ बही के अंतर्गत माह अक्तूबर 2023 के अंतर्गत समायोजन वॉउचर के रूप में व्यय को दिखाया गया था जिस कारण 15वां वित्त आयोग का रोकड़ बही का अन्त शेष बैंक शेष की तुलना में राशि ₹820403.00 से कम पाया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/06 दिनाँक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत घरेड के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके उत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि " उक्त समायोजन वॉउचर को प्रारंभ में किये गये व्यय जोकि (e-Gram Swaraj) रोकड़ बही में दर्ज नही हो सके थे उन्हें बैंक से मिलान हेतु उक्त वॉउचर की प्रविष्टि की गई थी।"

उपरोक्त प्रतिउतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि उक्त व्यय की प्रविष्टि उसी समय की जानी थी जिस वर्ष अथवा माह में वास्तविक व्यय किया गया था अन्यथा उक्त समायोजन वॉउचर हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर उक्त समायोजन वॉउचर को नियमानुसार (e-Gram Swaraj) पर 15वां वित्त की रोकड़ बही में दर्ज किया जाना था जोकि अनुचित प्रतीत होता है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा

सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹13.34 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से **₹1334051** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/06 दिनाँक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत घरेड के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.73 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹73580/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2022-23	52100	535	20	10700	62800	0	62800
2	2023-24	62800	539	20	10780	73580	0	73580

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/03 दिनाँक 12-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹6000/-की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट – "4"** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹6000/- की वित्तीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-05 दिनाँक 05-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण सामग्री से सम्बंधित राशि ₹5.05 लाख के संदिग्ध भुगतान बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के लेखों की नमूना/चयनित जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विकास कार्यों हेतु सामग्री का भुगतान रोकड़ बही अनुसार दिनाँक 11.05.22 को किया गया किन्तु उक्त किये गये भुगतानों की प्रशाशनिक / तकनिकी स्वीकृति, तकनीकी रिपोर्ट /माप पुस्तिका तथा कार्य शुरू व पूर्ण करने की स्थिति इत्यादि, दिनाँक 05.06.2024 तक (जोकि 2 वर्ष पूर्ण होने उपरान्त) भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया की तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता द्वारा भी उक्त निर्माण सामग्री को प्रमाणित नही किया गया है और न ही उक्त क्रय किये गये स्टॉक की स्थिति अथवा व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये हैं। जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है :-

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	Name of work
1	15/11.05.22	14th Fc	Pinku Ram Govt Cont. Po Ghahar	Steel 12 Mm	34720	C/O Play Ground Gps Dhurenka
2	16/11.05.22	14th Fc	Pinku Ram Govt Cont. Po Ghahar	Steel 10 Mm, 8mm	38950	Do
3	17/11.05.22	14th Fc	Pinku Ram Govt Cont. Po Ghahar	Shutring	10800	Do

4	18/11.05.22	14th Fc	Pinku Ram Govt Cont. Po Ghahar	Sand, Agg	49600	Do
5	19/11.05.22	14th Fc	Nand Lal Govt Cont. Old Bus Stand Bharmour	Sand Agg	49600	Do
6	31/11.05.22	14th Fc	Hp Civil Supply Corp.	Cement	17720	C/O Pucca Path Panjsei Near Chain Singh House
7	32/11.05.22	14th Fc	Om Raj Po Gharer	Sand	26400	Do
8	33/11.05.22	14th Fc	Om Raj Po Gharer	Aggrigate	45202	Do
9	34/11.05.22	14th Fc	Om Raj Po Gharer	Stone	38709	Do
10	35/11.05.22	14th Fc	Om Raj Po Gharer	Stone	36568	C/O Pucca Path Panjsei Near Chain Singh House
11	36/11.05.22	14th Fc	Ankush Kumar Po Gharer	Stone	49871	Do
12	37/11.05.22	14th Fc	Ankush Kumar Po Gharer	Stone	49871	Do
13	38/11.05.22	14th Fc	Ankush Kumar Po Gharer	Stone	22926	Do
14	15/11.05.22	14th Fc	Pinku Ram Govt Cont. Po Ghahar	Steel 12 Mm	34720	C/O Play Ground Gps Dhurenka
				TOTAL	505657.00	

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनाँक 05-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे । अतः दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही हो रहा क्योंकि उक्त किये गये भुगतान अंकेक्षण तक तकनिकी सहायक / कनिष्ट अभियंता द्वारा मुल्यांकन नही किया गया था तथा क्रय किये गये स्टॉक सामान की वस्तुस्थिति भी अंकेषण में प्रस्तुत नही की गई जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसे उचाधिकारियों के समक्ष विशेष रूप से लाया जाता है

अतः उक्त दर्शाए गये कार्यों की मुल्यांकन रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए अन्यथा किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बंधित से करके उक्त मद/ निधि में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

अतः उक्त प्रकरण को उचाधिकारियों के समक्ष विशेष रूप से इस आशय से लाया जाता जाता है कि मामले की गम्भीर ता से जांच की जाए व लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 पंचायत द्वारा राशि ₹2.53 लाख की बैंक खातों से संदिग्ध निकासी करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-5 नियम 44 के अनुसार प्रधान व सचिव किसी खर्च/संदाय हेतु अधिकृत हैं।

ग्राम पंचायत के लेखों की नमूना/चयनित जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार पंचायत द्वारा बैंक खातों से राशि की निकासी की गई थी जिसके न तो कोई बिल /वॉउचर, तथा किस कार्य के प्रयोजन हेतु निकासी की गई इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये और न ही उक्त की गई निकासी से सम्बंधित खर्चों के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत जोकि संधिग्ध प्रतीत होता है।

Sr No	A/c no.	Date of Payment	Cheque No	Amount	To Whom Paid
1	17810103208(GENERAL HEAD	22-06-2023	144418	34101	Malkeet Singh
2	17810103208(GENERAL HEAD	13-07-2023	324051	5000	Labdhi Ram
3	17810103208(GENERAL HEAD	02-08-2023	324055	25000	Malkeet Singh
4	17810103208(GENERAL HEAD	07-08-2023	324057	50000	Shimla BRH
5	17810103208(GENERAL HEAD	06-12-2023	324069	50000	Kikar Singh
6	17810103208(GENERAL HEAD	20-01-2024	324077	9000	Shimla BRH

7	17810103208(GENERAL HEAD		Total –A	**173101**	
	17810111916	**14th fc**			
Sr No		Date of Payment	Ch No	Amount	To Whom Paid
1		11-10-2023	137713	30000	Malkeet Singh
2		21-01-2023	335855	90000	Malkeet Singh
3		21-01-2023	335852	38000	Malkeet Singh
			TOTAL-B	158000	
	less :- Deposit on dated 18.04.23 by Panchayat Sec			-78000	
				80000	
			G.Total (A+B)	**253101**	

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनाँक 05-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त की गई निकासी की छानबीन उपरान्त लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जायेगा दिया गया प्रतिउतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि उक्त राशि किन विकासात्मक कार्यों हेतु निकाली गई अथवा व्यय की गई का कोई भी विवरण पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था तथा रोकड़ बही पर मात्र चैक संख्या इंगित था तथा राशि किस प्रयोजन हेतु अथवा किस कार्य हेतु निकाली गई अथवा हस्तांतरित की गई थी का कोई विवरण नही पाया गया था जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सम्बन्धित व्यक्ति से उसकी प्रतिपूर्ति करके उक्त निधि/कोष में जमा करवाकर लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

अतः उक्त प्रकरण को उचाधिकारियों के समक्ष विशेष रूप से इस आशय से लाया जाता जाता है कि मामले की गम्भीर ता से जांच की जाए व लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.3 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹0.58 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनाँक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे। तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई निविदाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनापति प्रमाण पत्र फॉर्म –M/X उपलब्ध न करवाने की दशा में अपेक्षित रॉयल्टी की कटौती हेतु कहा गया था।

ग्राम पंचायत घरेड , विकास खण्ड भरमौर , जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही थी। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/ XY-फॉर्म /M-फॉर्म लिया गया था और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई थी फलस्वरूप सरकार को कुल ₹**58773**/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5 "** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/09 दिनाँक 11.06.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि "उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके उसे

सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म/X-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समय पर सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।"

अतः पंचायत द्वारा रॉयल्टी न काटा जाना न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी वित्तीय हानि है।

अतः भविष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र/XY-फॉर्म/M-फ़ार्म न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं वर्तमान में रायल्टी न काटे जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की रॉयल्टी की वसूली उचित स्त्रोत से करके शीघ्रअतिशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.39 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹**825029.0**/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय

वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹39287/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/09 दिनाँक 11-06-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.5 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद,

भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत घरेड के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹0.76 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत घरेड के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
01/02.04.22	23962	muster roll payment	14th fc	c/o panihara at sati mata mandir
05/02.04.22	52040	muster roll payment	14th fc	c/o rain shelter shamshan ghat luni
Total	76002			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनाँक 11.06.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत घरेड के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रति उत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹5.46 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है। तथा इसके अतिरिक्त

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घरेड द्वारा राशि ₹546437.0/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही

किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितिता है।

क्र० सं	वॉउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	15/11.05.22	14th fc	Pinku Ram Govt Cont. PO Ghahar	steel 12 mm	34720
2	16/11.05.22	14th fc	Pinku Ram Govt Cont. PO Ghahar	steel 10 mm, 8mm	38950
3	17/11.05.22	14th fc	Pinku Ram Govt Cont. PO Ghahar	shutring	10800
4	18/11.05.22	14th fc	Pinku Ram Govt Cont. PO Ghahar	sand, Agg	49600
5	19/11.05.22	14th fc	Nand lal Govt Cont. old bus stand bharmour	Sand agg	49600
6	31/11.05.22	14th fc	HP Civil supply corp.	Cement	17720
7	32/11.05.22	14th fc	Om raj PO GHARER	SAND	26400
8	33/11.05.22	14th fc	Om raj PO GHARER	AGGRIGATE	45202
9	34/11.05.22	14th fc	Om raj PO GHARER	Stone	38709
10	35/11.05.22	14th fc	Om raj PO	Stone	36568

			GHARER		
11	36/11.05.22	14th fc	Ankush kumar PO GHARER	Stone	49871
12	37/11.05.22	14th fc	Ankush kumar PO GHARER	stone	49871
13	38/11.05.22	14th fc	Ankush kumar PO GHARER	Stone	22926
14	2022-23/P/01/19.05.22	15TH FC	ANKUSH KUMAR GOVT CONT.	STONE	37220.0
				SAND	38280.0
				Total	546437.0

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनाँक 11-06-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत घरेड के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹1.53 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹153500.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

क्र० सं	वॉउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	2022-23/P/01/19.05.22	15TH FC	ANKUSH KUMAR GOVT CONT.	STONE	37220.0
2				SAND	38280.0
3	02/02.04.22	14th fc	kikar singh Govt Cont. PO Prangla	bircks	49500
4	10-11/12.04.22	14th fc	pawan trunk house bharmour	chair & steel almirah	28500
				Total	153500

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/13 दिनाँक 11-06-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया।

इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 सभा निधि से राशि ₹3.43 लाख विभिन्न मदों हेतु व्यय करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न मदों हेतु जितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई थी अथवा शेष थी उससे अधिक का भुगतान पारित किया गया था व सभी मदों का बैंक खाता सभा निधि में होने के कारण उक्त अधिक राशि का भुगतान सभा निधि से किया गया प्रतीत होता है जोकि उक्त सभा निधि पर वैध प्रभार नही है तथा जोकि पंचायती राज नियमों की अवहेलना है।

Sr.No	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	-81029	354884	273855	617020	-343165
					total	-343165

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP GHARED/13, दिनाँक :-11-06-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये

अतः जिसकी प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए

9.5 मनरेगा (MGNAREGA) के अंतर्गत राशि ₹18.72 लाख के बिल/वॉउचर व मस्टर रोल को सत्यापित/प्रमाणित न करने बारे

ग्राम पंचायत घरेड के चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -6** अनुसार विकासात्मक कार्यों पर व्यय की जा रही राशि ₹1872067.00 के बिल/वॉउचर व मस्टर रोल प्रधान व सचिव द्वारा सत्यापित/प्रमाणित नही किये थे तथा भुगतान बिना सत्यापित/प्रमाणित किये बिना ही किये जा रहे थे जोकि अनुचित प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP GHARED/13, दिनाँक :-11-06-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।"

इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये। भविष्य में इस अनियमितता को न दोहराया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, इसके अतिरिक्त सामान्य रोकड़ बही के अंतर्गत पाया गया कि उक्त रोकड़ बही बैंक पास बुक आधार पर लिखी गई थी जिससे यह पता लगाना भी मुश्किल था कि उक्त भुगतान किसको और किस कार्य हेतु किये गये। जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई

परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-13 दिनाँक 11-12-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनिकी सहायक वह कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनाँक 11-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण

में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनाँक 11-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत घरेड द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा व निकुलस मद पर व्यय राशि की प्रतिपूर्ति करके सभा निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹15.34 लाख के अन्तर बारे

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनाँक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि 1534358.00 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष
31-03-2024 को PRYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष 3326168.00
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष **1791810.00.**
अन्तर 1534358.00

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP GHARED/13 दिनाँक 11.06.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8 .	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13, दिनाँक 11.06.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.6 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये

गये जिस कारण इस विभाग के ऑडिट कोड में वर्णित पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनाँक 11-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्यूंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत घरेड की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वॉउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष** :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है । यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

02 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 31.8.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4358 – 4362 का०/बो०

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (8) 159/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि०प्र०।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत घरेड, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 31.8.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/बो०

परिशिष्ट- 1 पैरा संख्या 4.1(ख)(1) के सन्दर्भ मे

Financial Position of Own Sources in r/o " GP GHARED" Dev. Block Bharmour Distt Chamba H.P

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	680919	16641	697560	8000	689560
2023-24	689560	17809	707369	185000	522369

21

परिशिष्ट - 2, पैरा सं (4 (1) क (ii), 4.3 व 6 व 9.4 से सम्बन्धित

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP GHARED"	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	19507	186600	206107	287136	-81029
2	14TH FC	1509329	33405	1542734	1459822	82912
3	15TH FC	2764891	1725306	4490197	1063191	3427006
4	MNREGA	0	6000000.92	6000000.92	6000000.92	0
5	SBM	75000	0	75000	0	75000
6	CD 2515	22000	0	22000	21950	50
7	MPLAD	0	60000	60000	60000	0
8	NUCLIOUS	0	30000	30000	29940	60
9	NRHM	10000	0	10000	0	10000
10	RAY/IAY	46500	0	46500	21950	24550
	Total	4447227	8035311.92	12482538.92	8943989.92	3538549
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP GHARED"	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba	Year Ended	2023-24
1	5TH SFC	-81029	354884	273855	617020	-343165
2	14TH FC	82912	81618	164530	206273	-41743
3	15TH FC	3427006	219946	3646952	2098593	1548359
4	MNREGA	0	7675373.23	7675373.23	7675373.23	0
5	SBM	75000	65000	140000	64000	76000
6	CD 2515	50	0	50	0	50
7	MPLAD	0	140000	140000	110060	29940
8	NUCLIOUS	60	30000	30060	0	30060
9	NRHM	10000	0	10000	0	10000
10	RAY/IAY	24550	0	24550	0	24550
	Total	3538549	8566821.23	12105370.23	10771319.23	1334051
	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	A/c No	Branch	Head			
1	17810103208,	HPSCB Bharmour	5TH SFC /SF/MPLAD/CD 2515/NUCLIOUS/RAY/NRHM			115665
2	17810114312,	HPSCB Bharmour	15TH FC			2396971
3	9923120000181,	HPGB BHARMOUR	SBM			1029
4	17810111916,	HPSCB Bharmour	14TH FC			2154
		Cash In Hand				0
	Total					2515819
	Balance as Per Cash Book on 31.03.24					522369
1	Cash Book Balance on 31.03.2024	(Own Source)				
2	Cash Book Balance on 31.03.2024	5TH SFC				-343165
3	Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC				-41743
4	Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC				1548359
5	Cash Book Balance on 31.03.2024	MNREGA				0
9	Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM				76000
10	Cash Book Balance on 31.03.2024	CD 2515				50
11	Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD				29940
12	Cash Book Balance on 31.03.2024	NUCLIOUS				30060
13	Cash Book Balance on 31.03.2024	NRHM				10000
14	Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY/IAY				24550
				Total		1791810
				Diffrence		-724009

Note :-1.Online cash book (Except 15th) fc not produced in audit

2.Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book

3. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book

4.Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position

परिशिष्ट-5 पैरा संख्या 7.2 के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत घरेड

विकास खण्ड भरमौर जिला चंबा हि०-प्र

वर्ष 1-4-2022 से 31-3-2024 तक

विवाह की फ़ीस जिसे सरकारी कोष में जमा नही करवाया गया

क्र. सं		नाम व् पता	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	बसूल की गई राशि	सरकारी कोष में जमा नही की गई राशि
1	27	सचिन कुमार S/O बूटा राम	19/04/2022	02/05/2022	0	200
2	27	रोशन लाल S/O दिगती राम	27/04/2022	30/05/2022	0	400
3	28	सुभाष कुमार S/O केहर सिंह	21/07/2022	18/08/2022	0	200
4	29	अंकज कुमार S/O जोगिंदर	07/07/2022	18/08/2022	0	400
5	30	सुभाष कुमार S/O परस राम	30/07/2022	23/08/2022	0	200
6	31	सतीश कुमार S/O ठाग्डिया राम	30/07/2022	23/08/2022	0	200
7	32	शशि पाल S/O अर्जुन सिंह	21/06/2022	23/08/2022	0	400
8	33	अमित शर्मा S/O नंद लाल	08/07/2022	18/07/2022	0	200
9	34	अरुण कुमार S/O जसबंत	23/09/2022	27/09/2022	0	200
10	35	सुनील कुमार S/O परस राम	14/12/2022	19/12/2022	0	200
11	36	बीर सिंह S/O महिन्दर कुमार	14/12/2022	23/12/2022	0	200
12	1	रोहित सिंह S/O शिव कुमार	26/03/2023	17/04/2023	0	200
13	2	विवेक कुमार S/O ओम प्रकाश	22/03/2023	18/04/2023	0	200
14	3	अजीत S/O पूरण चंद	16/04/2023	05/11/2023	0	200
15	4	अजय कुमार S/O बलदेव राज	26/06/2023	07/07/2024	0	200
16	5	अनिल कुमार S/O शिव कुमार	23/06/2023	12/07/2023	0	200
17	6	अमित कुमार S/O सुभाष कुमार	24/06/2023	21/07/2023	0	200
18	8	अनिल कुमार S/O चोकस राम	22/09/2023	03/11/2023	0	400
19	9	नवीन कुमार S/O जोगिन्दर पाल	26/10/2023	07/11/2023	0	200
20	10	जितेन्दर सिंह S/O जोनी राम	28/11/2023	09/11/2023	0	200
21	11	विजेन्दर S/O टेक चंद	16/11/2023	22/11/2023	0	200
22	13	हंस राज S/O रोशन लाल	16/11/2023	22/11/2023	0	200
23	14	विक्की ठाकुर S/O कुंज लाल	16/11/2023	23/11/2023	0	200
24	15	मनोज कुमार S/O चैन सिंह	16/11/2023	07/12/2023	0	200
25	16	दिनेश कुमार S/O बाबू राम	19/11/2023	07/12/2023	0	200
26	17	त्रिलोक S/O उत्तम चन्द	04/03/2024	30/03/2024	0	200
					कुल योग	6000

24

परिशिष्ट -5 पैरा संख्या 8.3 व 8.4 में दर्शित है

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP Ghared D.B BHARMOUR FROM WHICH ROYALITY NOT DIDUCTED & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED
1	ANKUSH KUMAR GOVT CONT.	15TH FC	2022-23/P/01/19.05.22	STONE	10	22.4	80	1792.0	37220.0	35447.6	1772.4
2				SAND	19.71112999	31.9	80	2554.6	38280.0	36457.1	1822.9
3	Nand Lal govt. cont. bharmour	14th fc	18/11.05.22	sand	4	6.48	80	518.4	16800.0	16000.0	800.0
4				agg	8	15.2	80	1216.0	32800.0	31238.1	1561.9
5	malkeet Singh govt Cont. po gharer	14th fc	22/11.05.22	sand	5.64	10.716	80	857.3	20868.0	19874.3	993.7
6	malkeet Singh govt Cont. po gharer	14th fc	23/11.05.22	agg	11.28	21.432	80	1714.6	38352.0	36525.7	1826.3
7				stone	7.2	16.128	80	1290.2	7200.0	6857.1	342.9
8	Kikar Singh govt cont. po prangla	14th fc	25/11.05.22	sand	5.99	9.584	80	766.7	22163.0	21107.6	1055.4
9				agg	3.8	7.22	80	577.6	12920.0	12304.8	615.2
10	Kikar Singh govt cont. po prangla	14th fc	26/11.05.22	stone	42.67	68.272	80	5461.8	42670.0	40638.1	2031.9
11	Kikar Singh govt cont. po prangla	14th fc	28/11.05.22	stone	37.95	60.72	80	4857.6	45540.0	43371.4	2168.6
12	Kikar Singh govt cont. po prangla	14th fc	29/11.05.22	agg	13	29.25	80	2340.0	49400.0	47047.6	2352.4
13	Kikar Singh govt cont. po prangla	14th fc	30/11.05.22	sand	6.69	15.0525	80	1204.2	26760.0	25485.7	1274.3
15	Om Raj govt Cont. PO Gharer	14th fc	32/11.05.22	sand	4.8	7.776	80	622.1	26400.0	25142.9	1257.1
16				agg	8.61	16.359	80	1308.7	45202.0	43049.5	2152.5
17	Nand Lal govt. cont. bharmour	15TH FC	10/27.05.22	sand	3.52	5.7024	80	456.2	13042.0	12421.0	621.0
				agg	7.5	14.25	80	1140.0	23970.0	22828.6	1141.4
				stone	7.2	16.128	80	1290.2	4500.0	4285.7	214.3
18	Nand Lal govt. cont. bharmour	15TH FC	13/27.05.22	sand	1.44	2.3328	80	186.6	5334.0	5080.0	254.0
				agg	2.88	5.472	80	437.8	9804.0	9337.1	466.9
				stone	1	2.24	80	179.2	1080.0	1028.6	51.4
19	Nand Lal govt. cont. bharmour	15TH FC	09/27.05.22	sand	2.04	3.3048	80	264.4	8581.0	8172.4	408.6
				agg	0.8	1.52	80	121.6	3592.0	3421.0	171.0
				stone	1	2.24	80	179.2	1080.0	1028.6	51.4
20	CHAIN SINGH GOVT CONT PO GHARED	NMREGA	05/15.03.24	AGG	51.56	97.964	80	7837.1	184695.0	175900.0	8795.0
				SAND	16.28	26.3736	80	2109.9	68376.0	65120.0	3256.0
				STONE	32	71.68	80	5734.4	38400.0	36571.4	1828.6
	Total			TOTAL			80	47018.3	825029.0	785741.9	39287.1

PANALTY 25 % = 47018.3 11754.58261 11754.6

total 58772.9

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

   Conversion Factor

2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**

   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**

   One Cubic Meter (M^3) Sand 1.62

   One Cubic Meter (M^3) Aggregate 1.52

   One Cubic Meter (M^3) Stone 2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

प्रारूप/OC-6 (1-4) पैरा संख्या 9.5 में सन्दर्भित

Statement showing detail of mnrega head which muster roll/bill,voucher not produced in audit for the year 2022-23

sr. no	work name /muster roll no.	date of payment	Total
1	Work Name: C/O Protection Work Luni(1302001010/FP/8000090159)/390	17-05-2022	9660
	390	17-05-2022	16100
	390	17-05-2022	3220
	391	17-05-2022	3220
	391	17-05-2022	4830
2	Banadi(1302001010/FP/8000090161)		
	393	17-05-2022	6895
	393	17-05-2022	4728
	393	17-05-2022	7092
3	gharad		
	395	17-05-2022	5275
	395	17-05-2022	10128
4	Field Of		
	398	17-05-2022	23856
	398	17-05-2022	5964
	399	17-05-2022	5964
5	Field Of		
	401	17-05-2022	4732
	401	17-05-2022	6760
	401	17-05-2022	11492
	402	17-05-2022	2366
	402	17-05-2022	15886
	402	17-05-2022	2028
8	402	18-05-2022	2366
	403	17-05-2022	2366
	403	17-05-2022	2366
10	bunds in field of Jhikli Panjsei(1302001010/LD/8000053337)		
	408	17-05-2022	2340
	408	17-05-2022	1170
	408	17-05-2022	8100
	409	17-05-2022	2340
	409	17-05-2022	7020
	409	17-05-2022	2340
	410	17-05-2022	1170
	410	17-05-2022	4680
	410	17-05-2022	1170
	410	07-06-2022	1170
11	The Land Of Pyar S/O		
	397	17-05-2022	2703.48
	397	17-05-2022	2703.48
12	Khadah Upper		
	413	17-05-2022	10668
	413	17-05-2022	14224
	413	17-05-2022	10668
	414	17-05-2022	3556

(1)

		414	17-05-2022	3556
13	main Road to D A			
		493	17-05-2022	5980
		493	17-05-2022	11960
		493	17-05-2022	11960
		494	17-05-2022	5980
		494	17-05-2022	8970
		494	17-05-2022	11960
		494	18-05-2022	2990
material payment		495	17-05-2022	2990
C/O Soil Conservation Work Khil Dadma (1302001010/FP/8000082452)		39	22-05-2022	3000
C/O Soil Conservation work Dhudenka (1302001010/FP/8000082454)		34	22-05-2022	5000
C/O Soil Conservation Work Play Ground Gagal (1302001010/FP/8000082478)		35	22-05-2022	5000
C/O Protection Work Luni (1302001010/FP/8000090159)		37	22-05-2022	5000
C/O Protection work Dadma (1302001010/FP/8000090160)		41	22-05-2022	5000
C/O Protection Work At Banadi (1302001010/FP/8000090161)		42	22-05-2022	5000
C/O Protection work Chapata Ghared (1302001010/FP/8000090168)		21	22-05-2022	5000
C/O Protection Work Dhudenka (1302001010/FP/8000091322)		33	22-05-2022	5000
C/O Protection Work Laad gharad Luni (1302001010/FP/8000091404)		38	22-05-2022	5000
C/O Protection Work Near Kashmeera House (1302001010/FP/8000091699)		24	22-05-2022	1400
C/O Land Dev.Work On The Land Of Vijay Kumar S/O Om Prakash (1302001010/IF/32146651)		5	22-05-2022	2000
C/O Land Dev.Work On The Land Of Keemat Ram (1302001010/IF/32146653)		1	22-05-2022	3000
C/O Land Dev.Work On The Land Of Tilak S/O Fincha (1302001010/IF/32146658)		19	22-05-2022	3000
C/O Land Dev.Work On The Land Of Pyar S/O Bichu (1302001010/IF/32146660)		36	22-05-2022	3000
C/O Land Dev.Work OnThe Land Of Bhakto Ram S/O Runiya (1302001010/IF/32146681)		32	22-05-2022	3000
C/O Stone Field Bunds In Field Of Gharat (1302001010/LD/8000046216)		23	22-05-2022	5000
C/O Stone Field Bunds In Field Of Dhageri (1302001010/LD/8000049358)		27	22-05-2022	5000
C/O Soil Conservation Work Gharat (1302001010/LD/8000050147)		18	22-05-2022	5000
C/O Pacca Path Dhudenka To Main Road Tak (1302001010/RC/8000118699)		31	22-05-2022	49000
		31	22-05-2022	38000
C/O Pacca Path Garvo House To Pritam House Tak (1302001010/RC/8000124914)		278935	22-06-2022	62020
C/O Interlocking Tiles Vill.Luni Mandir (1302001010/RC/8000124917)		4	22-05-2022	94500
		28	22-05-2022	82800
C/O Moksh Dham At Khadah Upper Panjsei (1302001010/RC/8000127635)		32	22-05-2022	24000

(2)

35

		30	22-05-2022	38133
		32	22-05-2022	35000
		30	22-05-2022	31779
		32	22-05-2022	39000
			Total	867294.96

(3)

2023-24

statement showing detail which payment not verified by pradhan

Sr No	Name of Work	Muster Roll No	Muster issue	Amount
1	C/o Protection Work Goled	2082/2083/2084/2131	20-05-2023	73551
2	C/o Protection Work Jhikli Panjsei	2085/2086/2134	20-05-2023	41963
3	Construction of Land Develoment Work on the Land of Vishnu Ram Ghared	2090/2129	20-05-2023	24151
4	C/o Land Dev Work at Vicchu Ram Dadma	2091/2092/2123	20-05-2023	78514
5	Construction of Land Develoment Work on the Land of Sanjay Kumar	2093/2136	20-05-2023	42113
6	Construction of Protection Work at Ghohar ki Niche Jhicli Panjsei	2094/2095/2135	20-05-2023	54944
7	Construction of Protection Work at Nihrma Nalda	2096/2097/2137	20-05-2023	69511
8	Construction of Land Develoment Work Dhandi	2098/2099/2132	20-05-2023	48231
9	C/o Protection Work Sham Ghat Panjsei	2100/2101/2130	20-05-2023	46260
10	C/o Protection Work and Land Develoment Harror	2102/2103/2128	20-05-2023	54768
11	Construction of Soil Conservation Work at Padd Ratnala	2104/2105/2106/2127	20-05-2023	54313
12	Construction of Protection Work at Nalcha BDC	2107/2108/210/2110/2126	20-05-2023	102539
13	Construction of Land Develoment Work on the Land of Pankaj	2111/2122	20-05-2023	37902
14	C/o Protection Work Suresh and Sunna Panjsei	2112/2121	20-05-2023	36774
15	Construction of Soil Conservation Work at UPPer Ghared	2113/2114/2125	20-05-2023	48952
16	Construction of Land Develoment Work on the Land of at Thehda	2115/2116/2124	20-05-2023	37496
17	Construction of Protection Work Near Parol	2117/2118/2119/2120	20-05-2023	85010
18	Construction of Land Develoment Work on the Land of Tek Chand	2138	20-05-2023	14526
19	C/o Protection Work Khadah Panjsei	2144/2145	20-05-2023	14702
20	Construction of Protection Work at Dhudenka	2146/2147/2148	20-05-2023	38557
			Total	1004777

2022-23 - 867295
2023-24 - 1004777

1872067

(4)

37 (27)